

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
6. श्री भानू प्रकाश, स्थापना उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी पदा0, आपदा प्रबंधन/भू-अर्जन शाखा।
7. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
8. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
9. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
10. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
11. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
12. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।
13. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
14. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
15. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
16. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
17. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
19. श्री नीतीश कुमार, ओई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

20. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
21. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।

सर्वप्रथम प्राकृतिक आपदा, बाढ़/सुखाड़ के दृष्टिगत संबंधित पदाधिकारियों को निम्न

निदेश दिए गए :-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को SDRF एवं NDRF अन्तर्गत निर्धारित साहाय्य मानदर का वितरण किसी भी हालत में दिनांक 30.09.2013 तक अवश्य कर दिया जाए।
2. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि वृहत् रूप से प्रचार प्रसार कर आमजनों तक यह सूचना प्रसारित करें कि जाँचोपरान्त वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भा0द0वि0 में निहित धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने बाढ़ के मद्देनजर गलत तरीके से राहत सामग्री प्राप्त की है।
3. बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिष्ठापित राहत शिविर/शरण स्थली के प्रभारी पदाधिकारी भी अपने स्तर से राहत सामग्री प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों की जाँच कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
4. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1293/आ0प्र0, दिनांक 17.04.12 के अनुसार निर्धारित साहाय्य मानदर के 9वें स्तम्भ में वर्णित मकानों, क्रमशः पक्का मकान, कच्चा मकान एवं झोपड़ीनुमा मकान का विवरण, जिसमें विशेषकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त झोपड़ीनुमा मकान एवं आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर आंकलित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, ताकि गृह क्षति अनुदान के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को निर्धारित मुआवजा दिया जा सके। उक्त कार्य का अनुश्रवण प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय पदाधिकारी (Mentor) प्रखंड स्तरीय बैठक में समीक्षा कर क्षतिग्रस्त घरों का फोटोग्राफ सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2013 तक उपलब्ध कराएँगे।

